कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 9862/2020 पूनम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2020 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती 2018 में चयनोपरान्त विभाग द्वारा याचिकार्थिया को धौलपुर जिला आवंटित कर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कासगंज, जिला–धौलपुर में पदस्थापित किया गया। याचिकार्थिया के कथनानुसार वह एकल अविवाहित महिला है एवं उसका पदस्थापन गृह जिले हनुमानगढ़ से लगभग 800 किमी. दूर है व उसके गृह जिले में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद रिक्त हैं तथा उसकी माताजी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। अतः याचिकार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर धौलपुर जिले के स्थान पर हनुमानगढ़ जिला आवंटित कर रा.उ.प्रा.वि. चिरितया/रा.बा.उ.प्रा.वि. रोड़ावाली/रा.उ.प्रा.वि. नम्बर–02 में से किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापित करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं बोर्ड द्वारा अभिस्तावित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन बाबत् राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 15.11.2019 के अनुसार "निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जिलेवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी उस जिले को आवंटित किये जावेंगे। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना जिलेवार ही की जाती है। अतः जिले के चयन वर्गवार (सामान्य/आरक्षित श्रेणियां, यथा–महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा–परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप चयन वर्गवार एवं स्वयं के वर्ग की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों से विभागीय वेबसाइट पर विकल्प पत्र आमंत्रित किये जाकर अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटित किया जावें," के निर्देश दिए गए थे जिसके अनुसार ही जिला आवंटन किया गया है।

याचिकार्थिया का बोर्ड द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में वरीयता क्रमांक 3582 वर्ग एवं चयन वर्ग SCF पर चयन किया जाना पाया गया। विभागीय नियमानुसार याचिकार्थिया को उसके वर्ग एवं चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर उसके द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के अनुसार 17वीं प्राथमिकता पर अंकित धौलपुर जिला आवंटित किया गया। याचिकार्थिया के विकल्प पत्र में प्रथम सोलह प्राथमिकताओं पर अंकित जिलों में याचिकार्थिया से संबंधित वर्ग एवं चयन वर्ग SCF में याचिकार्थिया से कनिष्ठ किसी भी अभ्यर्थी को याचिकार्थिया को आवंटित धौलपुर जिले से पूर्व उसके विकल्प पत्र में अंकित जिला नियुक्ति हेतु आवंटित नहीं किया गया है।

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा अभिस्तावित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा की गई जिला आवंटन की समस्त कार्यवाही प्रोविजनल है, जिसका उल्लेख इस कार्यालय द्वारा जारी जिला आवंटन आदेश में स्पष्ट रूप से किया गया है। वर्तमान में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की रिशफल जिला आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

याचिकार्थी द्वारा विकल्प पत्र में प्राथमिकता पर अंकित हनुमानगढ़ जिले में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद रिक्त होने के आधार पर पदस्थापन की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के अनुसार शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III का पद जिला स्तर का है, जिसका नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त जिलें) रोस्टर के आधार पर वर्गवार आरक्षण के अनुसार अर्थना तैयार कर विभाग को प्रेषित करता है। विभाग सभी जिलों से वर्गवार प्राप्त अर्थना को संकलित कर वर्गवार योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु अर्थना बोर्ड को प्रेषित करता है। बोर्ड परीक्षा का आयोजन कर अर्थना में प्रदर्शित वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन कर चयन वर्गवार अभिस्तावना विभाग को नियुक्ति हेतु प्रेषित करता है। बोर्ड से चयन वर्गवार अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्राप्त अभिस्तावना की पालना में विभाग द्वारा जिला आवंटन की कार्यवाही बोर्ड को प्रेषित जिलावार एवं वर्गवार अर्थना की सीमा तक अभ्यर्थियों की वर्गवार एवं चयन वर्गवार वरीयता एवं उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र की प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। जिस जिले

में वर्गवार जितने पद विज्ञापित किये जाते है, उतने ही अभ्यर्थी वर्गवार नियुक्ति हेतु आवंटित किये जाते है। अतः जिला आवंटन के समय अथवा वर्तमान में किसी जिले में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के रिक्त पद के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापन की मांग उचित नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही पदस्थापन किए जाते हैं। याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर धौलपुर जिले के स्थान पर हनुमानगढ़ जिला आवंटित करने की मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकार्थिया द्वारा धौलपुर जिले के स्थान पर हनुमानगढ़ जिला आवंटित कर पदस्थापन हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/13183/2020 दिनांकः– 09.06.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
3. सहायक निदेशक (विधि) कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
4. याचिकार्थिया पूनम पुत्री करणी सिंह, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कासगंज, जिला–धौलपुर (रजिस्टर्ड)
5. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)